



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4977] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 17, 2018/अग्रहायण 26, 1940
No. 4977] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 17, 2018/AGRAHAYANA 26, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2018

का. आ. 6207(अ).—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप- धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसम्बर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्,-

सारणी में,

1. उत्तरी क्षेत्र से संबंधित 'क' में,

- (क) दिल्ली के नीचे क्रम संख्या 9 की पंक्ति की प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।
(ख) हरियाणा के नीचे क्रम संख्या 7 की पंक्ति की प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।
(ग) जम्मू और कश्मीर के नीचे क्रम संख्या 1 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"1	गुणता नियंत्रण और गुणता आश्वासन प्रभाग, सी.एस.आई.आर.-भारतीय इंटीग्रेटिव मेडिसिन संस्थान, जम्मू पंजीकरण सं० 55/एन/एफ.एस.एस.ए.आई/2018 कैनाल रोड, जम्मू-तवी-180001	रासायनिक";

2. पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित 'ख'में,

(क) गुजरात के नीचे क्रम संख्या 13 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्,-

क्रम सं०	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"14	लिलाबा एनालाइटिकल लैबोरेटरीज, सूरत पंजीकरण सं. 52/डब्ल्यू/एफ.एस.एस.ए.आई/2018 दूसरी मंजिल, गैलेक्सी प्वांट बिल्डिंग, होटल अमीरास के ऊपर, सरथाना जकात नाका, वराछा रोड, सूरत-395006, गुजरात	रासायनिक जैविक"

(ख) महाराष्ट्र के नीचे क्रम संख्या 11 में कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"11	माइक्रोटैक लैबोरेटरी, पुणे पंजीकरण सं० 2/डब्ल्यू/एफ.एस.एस.ए.आई/2014 प्लॉट सं० जीपी-134, साहूनगर, जी-ब्लॉक, एम.आई.डी.सी, चिंचवाड,पुणे-411019, महाराष्ट्र	रासायनिक जैविक"

(ग) महाराष्ट्र के नीचे क्रम संख्या 27 के बाद संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएँ, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"28	बोम्बे टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, नवी मुंबई पंजीकरण सं० 53/डब्ल्यू/एफ.एस.एस.ए.आई/2018 यूनिट नं० 1, चौथी मंजिल, बैंकिंग कंप्लेक्स-2, प्लॉट सं० 9 और 10, सेक्टर-19ए, वाशी, नवी मुंबई-400703, महाराष्ट्र	रासायनिक जैविक"

3. दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित 'ग' में,

(क) तमिल नाडु के नीचे, क्रम संख्या 2 की पंक्ति की प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

(ख) तमिल नाडु के नीचे, क्रम संख्या 14 की पंक्ति की प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

4. पूर्वी क्षेत्र से संबंधित 'घ' में,

(क) ओडिशा के नीचे क्रम संख्या 1 में कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“1	कल्याणी लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर पंजीकरण सं0 6/ई /एफ.एस.एस.ए.आई/2016 प्लॉट सं0 78/944, बलियंता, पहला, भुवनेश्वर-752101	रासायनिक जैव-वैज्ञानिक'

[फा. सं. 12012/01/2017-क्यू ए]

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. सं. 3648 (अ), दिनांक 6 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में उसमें निम्नलिखित का.आ. संख्याओं द्वारा संशोधन किए गए:-

- (i) का.आ. संख्या 567 (अ), दिनांक 20 फरवरी, 2017
- (ii) का.आ. संख्या 1595 (अ), दिनांक 15 मई, 2017
- (iii) का.आ. संख्या 1965 (अ), दिनांक 20 जून, 2017
- (iv) का.आ. संख्या 2316 (अ), दिनांक 24 जुलाई, 2017
- (v) का.आ. संख्या 3068 (अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2017
- (vi) का.आ. संख्या 3279 (अ), दिनांक 29 सितम्बर, 2017
- (vii) का.आ. संख्या 4083 (अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2017
- (viii) का.आ. संख्या 848 (अ), दिनांक 19 फरवरी, 2018
- (ix) का.आ. संख्या 1515 (अ), दिनांक 28 मार्च, 2018
- (x) का.आ. संख्या 2426 (अ), दिनांक 13 जून, 2018

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

[FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA]

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2018

S.O. 6207 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendments in the notification number S.O. 3648(E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely:-

In the table,

1. in 'A' related to NORTHERN REGION,

- (a) under Delhi, at serial number 9, the entries in the row shall be deleted
- (b) under *Haryana*, at serial number 7, the entries in the row shall be deleted.
- (c) under Jammu & Kashmir at serial number 1 in column (1) and respective entries in columns (2) and (3), the following shall be inserted, namely:-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“1	Quality Control and Quality Assurance Division, CSIR-Indian Institute of Integrative Medicine, Jammu Reg. No. 55/N/FSSAI/2018 Canal Road, Jammu – Tawi - 180001	Chemical”;

2. in ‘B’ related to WESTERN REGION,

(a) under *Gujarat*, after serial number 13 in column (1) and respective entries in columns (2) and (3), the following shall be inserted, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“14	Lilaba Analytical Laboratories, Surat Reg. No. 52/W/FSSAI/2018 2 nd Floor, Galaxy Point Building, Above Hotel Amiras, Sarthana Jakat Naka, Varachha Road, Surat - 395006, Gujarat	Chemical Biological”;

(b) under *Maharashtra*, at serial number 11 in column (1) and respective entries in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“11	Microtech Laboratory, Pune Reg. No. 2/W/FSSAI/2014 Plot No. GP-134, Shahunagar, G- Block, MIDC, Chinchwad, Pune - 411019, Maharashtra	Chemical Biological”.

(a) under *Maharashtra*, after serial number 27, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“28	Bombay Test House Private Limited, Navi Mumbai Reg. No. 53/W/FSSAI/2018 Unit No. 1, 4 th Floor, Banking Complex-2, Plot No. 9 & 10, Sector -19A, Vashi, Navi Mumbai - 400703, Maharashtra	Chemical Biological”;

3. in ‘C’ related to SOUTHERN REGION,

(a) under *Tamil Nadu*, at serial number 2, the entries in the row shall be deleted.

(b) under *Tamil Nadu*, at serial number 14, the entries in the row shall be deleted.

4. in 'D' related to EASTERN REGION,

(a) under *Odisha*, at serial number 1, in column (1) and respective entries in columns (2) and (3), the following shall be substituted, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"1	Kalyani Laboratories Private Limited, Bhubaneswar Reg. No. 6/E/FSSAI/2016 Plot No. 78/944, Baliana, Pahala, Bhubaneswar-752101	Chemical Biological"

[F. No. 12012/01/2017-QA]

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended vide:-

- (i) S.O. number 567 (E), dated the 20th February, 2017
- (ii) S.O. number 1595(E), dated the 15th May, 2017
- (iii) S.O. number 1965 (E), dated the 20th June, 2017
- (iv) S.O. number 2316(E), dated the 24th July, 2017
- (v) S.O. number 3068 (E) dated the 14th September, 2017
- (vi) S.O. number 3279 (E) dated the 29th September, 2017
- (vii) S.O. number 4083 (E) dated the 22nd December, 2017
- (viii) S.O. number 848(E) dated the 19th Feb, 2018
- (ix) S.O. number 1516 (E) dated 28th March, 2018
- (x) S.O. number 2426(E) dated 13th June, 2018